

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्रक.क्रमांक :- 377 / 2017)  
(संस्थित दिनांक :- 16 / 08 / 2017)

म.प्र. राज्य,  
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।  
जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. सुमेर सिंह गुर्जर पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर, उम्र 60 वर्ष।
02. प्रकाश सिंह गुर्जर पुत्र सुमेर सिंह गुर्जर, उम्र 40 वर्ष।  
निवासीगण :- ग्राम कतरौल, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।  
..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

( आज दिनांक : 19 / 01 / 2018 को घोषित )

01. अभियुक्तगण सुमेर सिंह एवं प्रकाश सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 23 / 03 / 2017 की दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी रामनरेश गुर्जर के मकान के पास स्थित ग्राम कतरौल में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी रामनरेश को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामनरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त प्रकाश ने धारदार आयुध हसिया से एवं अभियुक्त सुमेर सिंह ने लात-घूसों से फरियादी रामनरेश की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी रामनरेश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23 / 03 / 2017 की दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी रामनरेश गुर्जर के मकान के पास स्थित ग्राम कतरौल में, आरोपीगण द्वारा फरियादी रामनरेश से गाली-गलौच करने, उसकी धारदार आयुध हसिया से एवं लात-घूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामनरेश द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में आरोपीगण सुमेर एवं प्रकाश के विरुद्ध की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 76 / 2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं.

पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी/आहत रामनरेश के मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट में धारदार आयुध से चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी प्रकाश सिंह से एक लोहे का हसिया जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी रामनरेश, साक्षीगण परमाल सिंह एवं वकील सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण सुमेर सिंह एवं प्रकाश सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34, 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी प्रकाश सिंह ने दिनांक :- 23/03/2017 की दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी रामनरेश गुर्जर के मकान के पास स्थित ग्राम कतरौल में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामनरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त प्रकाश ने धारदार आयुध हसिया से फरियादी रामनरेश की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### **सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**

06. फरियादी रामनरेश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी प्रकाश उसका भाई एवं सुमेर उसके पिता है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/01/2018 से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर दोपहर 12:00 बजे की है। उस समय उसका, उसके पिता एवं भाई से भैस बांधने के उपर विवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रामनरेश

अ.सा.01 ने आरोपी प्रकाश द्वारा दिनांक :- 23/03/2017 की दोपहर लगभग 12:00 बजे उसके मकान के पास स्थित ग्राम कतरौल में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसकी धारदार आयुध हसिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी रामनरेश अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रामनरेश अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी प्रकाश सिंह ने दिनांक :- 23/03/2017 की दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी रामनरेश गुर्जर के मकान के पास स्थित ग्राम कतरौल में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामनरेश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त प्रकाश ने धारदार आयुध हसिया से फरियादी रामनरेश की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

09. अभियोजन आरोपीगण प्रकाश एवं सुमेर सिंह के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

11. प्रकरण में आरोपी प्रकाश सिंह से जब्तशुदा एक लोहे का हसिया मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद